

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2141]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 2, 2017/श्रावण 11, 1939

No. 2141]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 2, 2017/SRAVANA 11, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

संशोधन

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2017

का.आ. 2439(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2391(अ), दिनांकित 1 जुलाई, 2016, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii), में प्रकाशित की गई थी, में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में:—

- I. पूर्वोक्त अधिसूचना की प्रस्तावना में, शब्द “अपर जिला मजिस्ट्रेट (एलए), बर्दवान” के स्थान पर शब्द “अपर जिला मजिस्ट्रेट (एलए), पूर्व बर्धमान” शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- II. पूर्वोक्त अधिसूचना की अनुसूची में, स्तम्भ 2, “जिला” में, प्रविष्टि “बर्दवान” को “पूर्व बर्धमान” और स्तम्भ 3, “तालुक” में, प्रविष्टि “बर्दवान सदर (उत्तर)” को “बर्धमान सदर उत्तर” के रूप में पढ़ा जाएगा।

[फा. सं. आरडब्ल्यू/एनएच-12014/डब्ल्यूबी(7)/एलए/16-एस एंड आर(बी)पार्ट]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना का.आ. 2391(अ), तारीख 1 जुलाई, 2016 द्वारा भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii), में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
AMENDMENT

New Delhi, the 13th July, 2017

S.O. 2439(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), The Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport & Highways number S.O. 2391(E), dated 1st July, 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Sub-section 3(ii), dated 13th July, 2016, namely:—

- I. In the preamble of the aforesaid Notification, instead of the words “Additional District Magistrate (LA), Burdwan” the words “Additional District Magistrate (LA), Purba Bardhaman” shall be substituted.
- II. In the schedule to the aforesaid notification, in column 2, “Districts”, the entry “Burdwan” shall be read as “Purba Bardhaman” and in column 3, ‘Taluk’, the entry “Burdwan Sadar (North)” shall be read as “Bardhaman Sadar North”.

[F. No. RW/NH-12014/WB(7)LA/16-S&R (B)pt.]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Foot Note : The principal Notification was published vide S.O. 2391(E) dated 1st July, 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), dated 13th July, 2016.